नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 256/2021

Dt-2-8-2021

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः—**राज्य में पुरानी व्यवस्था के अनुरूप संचालित 'पोस्टमोर्टम' की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के सामान्य रूप से संध्या 4 बजे के बाद भी 'पोस्टमोर्टम' की बेहतर सुविधा प्रदान के संबंध में।**

महाशय,

'न्याय के साथ विकास' एवं अपराध में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य को प्रमुखता देते हुये गृह विभाग ने स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। घटना में मृतक के कानूनी मामलें के त्वरित निष्पादन में "पोस्टमोर्टम रिपोर्ट" की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक समय में त्वरित 'पोस्टमोर्टम' सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था को दर्शाता है।

आधुनिकता के व्यस्ततम दौर में आपराधिक हत्याऐं, सड़क हादसे सहित अन्य दुर्घटनाऐं एवं अन्य मानवजनित आपदा अथवा प्रकृतिजनित आपदा से त्रस्त मृतक के आश्रित व्यथित रहते हैं और उन्हें 'पोस्टमोर्टम' कराने की बेचैनी बनी रहती है, साथ ही जबतक 'पोस्टमोर्टम' नहीं किया जाता तबतक कानून व्यवस्था की समस्या भी बनी रहती है। "पोस्टमोर्टम रिपोर्ट" भविष्य में मृतक को न्याय एवं आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि दिलाने आदि अन्य कार्यों में सहायक सिद्ध होता है।

प्रायः देखा गया है कि संध्या 4 बजे के बाद 'पोस्टमोर्टम' का कार्य नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 'पोस्टमोर्टम' किया जाता है। संध्या में 'पोस्टमोर्टम' कार्य नहीं किये जाने के पीछे संभवतः दशकों पूर्व की पुरानी व्यवस्था एवं "पोस्टमोर्टम कक्ष" में आधारभूत संरचना का अभाव हो सकता है।

वर्त्तमान समय में 'आत्मनिर्भर बिहार की संकल्पना' से ओत–प्रोत राज्य के विधि व्यवस्था की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार जारी है। स्वास्थ्य सेवा की बेहतर उपलब्धता में राज्य के अस्पतालों के आधारभूत संरचना का क्रमिक रूप से विकास, आधुनिक तकनीक से युक्त संयंत्र एवं सुव्यवस्थित लेबोरैट्री का कार्य प्रगति पर है। अस्पतालों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बेहतर ईलाज हेतु चिकित्सक, विशिष्ट चिकित्सक स्टाफ

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in

नर्स एवं पारा मेडिकल स्टाफ की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है। आवश्यकतानुसार सृजित पदों पर कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। ऐसी स्थिति में 'पोस्टमोर्टम' कार्य के त्वरित निष्पादन में कोई परेशानी नजर नहीं आता। त्वरित 'पोस्टमोर्टम' संबंधी कार्य में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को इसे आपातकालीन सेवा के रूप में लेते हुये इसका समुचित निदान जनहित में आवश्यक है।

त्वरित 'पोस्टमोर्टम' के निष्पादन हेतु निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.'पोस्टमोर्टम' से संबंधित कार्य को आपातकालीन सेवा घोषित करते हुये मृतक का 'पोस्टमोर्टम' कराने की व्यवस्था संध्या 4 बजे के बाद भी हो।

2.'पोस्टमोर्टम' करने वाले चिकित्सकों एवं कर्मियों की सेवा समय रोस्टर के साथ 24 घंटों की हो।

3.'पोस्टमोर्टम' से संबंधित रिपोर्ट अद्यतन रूप से कम्प्यूटरीकृत करते हुये शीघ्र देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अतः अनुरोध है कि राज्य में संचालित 'पोस्टमोर्टम' के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के उपरांत सामान्य रूप से संध्या 4 बजे के बाद भी 'पोस्टमोर्टम' की बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु समुचित विचार करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा) 2.8.21